43–(08)–16–2023

पटना में दिनांक–03 जनवरी, 2023 मंगलवार को अपराह्न 04:30 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग

1. पश्चिम चम्पारण जिला अंतर्गत समेकित थरूहट विकास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022–23 में राज्य स्कीम से समेकित थरूहट विकास अभिकरण, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के माध्यम से प्रस्तावित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कुल–₹2928.354 लाख (उनतीस करोड़ अठाईस लाख पैंतीस हजार चार सौ रू०) मात्र की राशि अनुदान के रूप में समेकित थरूहट विकास अभिकरण पश्चिम चम्पारण, बेतिया को उपलब्ध कराते हुए व्यय करने की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 तक योजना को चालू रखने की स्वीकृति।

1. **स्वीकृत**

कृषि विभाग

2. राज्य स्कीम के अधीन जैविक कोरिडोर योजनान्तर्गत 13 (तेरह) जिलों में जैविक खेती हेतु अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण योजना का वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2024–25 तक तीन वर्षों के लिए कुल 10436.0350 लाख (एक सौ चार करोड़ छत्तीस लाख तीन हजार पाँच सौ) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल 4109.22 लाख (इकतालीस करोड़ नौ लाख बाईस हजार) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

2. **स्वीकृत**

ग्रामीण कार्य विभाग

3. Bihar Rural Roads Project (BRRP) के तहत मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (New Development Bank (NDB) वित्त सहायतार्थ) अन्तर्गत राज्य के 26 जिलों में 250 या इससे अधिक की आबादी वाले अनजुड़े टोलों/बसावटों को बारहमासी एकल सम्पर्कता प्रदान करने के लिए अनुमोदित 4000.00 कि०मी० ग्रामीण पथों को Multi Tranche Financing Facility (MFF) के तहत कार्यान्वयन के क्रम में 1300.00 कि०मी० कुल लम्बाई की ग्रामीण पथों की कमी को पूरा करने हेतु राज्य के 38 जिलों के लिए 1467.205 कि०मी० अन्य (Mobile Application के माध्यम से छुटे हुए बसावटों के सर्वेक्षण से प्राप्त) ग्रामीण पथों को सम्मिलित करने के लिए राज्य सरकार की सहमति के संबंध में।

3. **स्वीकृत**

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

4. राज्य योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022–23 से राज्य के सरकारी विद्यालय, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त तथा स्थापना प्रस्वीकृत विद्यालयों में कक्षा–I से X तक अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना'' के संचालन एवं दिशा–निर्देश तथा योजना का संचालन शिक्षा विभाग के माध्यम से कराने की स्वीकृति।

4. स्वीकृत

नगर विकास एवं आवास विभाग

5. बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा–127 के प्रावधानों के आलोक में ''बिहार नगरपालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली, 2022'' की स्वीकृति के संबंध में।

5. स्वीकृति हेतु प्रस्तावित नियमावली के शीर्षक में वर्ष–2022 के स्थान पर 2023 पढ़ा जाय। इस शर्त के साथ प्रस्ताव स्वीकृत।

विधि विभाग

6. प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) एवं स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) के शुभ अवसर पर सजावार बंदियों को विशेष परिहार का लाभ देकर कारामुक्त करने की स्वीकृति।

6. स्वीकृत

संसदीय कार्य विभाग

7. सप्तदश बिहार विधान सभा के सप्तम–सत्र तथा बिहार विधान परिषद् के 202वें सत्र के सत्रावसान संलेख पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

7. स्वीकृत

निगरानी विभाग

8. श्री अरूण कुमार ठाकुर, कार्यपालक अभियंता–सह–विशेष कार्य पदाधिकारी, निगरानी विभाग को उनकी सेवानिवृत्ति (दिनांक 31.01.2023) के उपरान्त संविदा के आधार पर अगले दो वर्ष तक नियोजित करने के संबंध में।

8. स्वीकृत

उद्योग विभाग

9. वित्तीय वर्ष 2022–23 में औद्योगिक क्षेत्रों के विकास हेतु राशि 416.5556 करोड़ (चार सौ सोलह करोड़ पचपन लाख छप्पन हजार) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं 195.7111 करोड़ (एक सौ पंचानवे करोड़ एकहत्तर लाख ग्यारह हजार) रूपये मात्र की द्वितीय अनुपूरक आगणन से निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

9. स्वीकृत

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

10. राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चिह्नित पात्र लाभुकों को सामान्य चावल के स्थान पर फोर्टीफायड चावल (Fortified Rice) की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना द्वारा निविदा के माध्यम से चयनित आपूर्तिकर्ताओं के अतिरिक्त मिलरों द्वारा सीधे भारत सरकार से मान्यता प्राप्त आपूर्तिकर्ताओं/विनिर्माताओं से बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा निर्धारित दर पर फोर्टीफायड चावल कर्नल (FRK) प्राप्त कर फोर्टीफायड चावल तैयार कराने की स्वीकृति के संबंध में।

10. स्वीकृत

आपदा प्रबंधन विभाग

11. राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक–20.09.2022 को गठित "बिहार राज्य आपदा प्रबंधन सेवा संवर्ग नियमावली–2022" के तहत "बिहार राज्य आपदा प्रबंधन सेवा" हेतु कुल 57 पदों (सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी–43 पद, उप आपदा प्रबंधन पदाधिकारी–11 पद एवं आपदा प्रबंधन पदाधिकारी–03 पद) की स्वीकृति के संबंध में। — **11. स्वीकृत**

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

12. पटना जिला के बाढ़, मसौढ़ी, पालीगंज एवं दानापुर अनुमंडल को 'मद्यनिषेध एवं उत्पाद क्षेत्र के रूप में सृजित करते हुए प्रत्येक नवसृजित मद्यनिषेध एवं उत्पाद क्षेत्र के अनुमंडल मुख्यालय में 'क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं उत्पाद कार्यालय' की स्थापना की स्वीकृति तथा नवसृजित 'मद्यनिषेध एवं उत्पाद क्षेत्र' हेतु कुल 136 (एक सौ छत्तीस) राजपत्रित/अराजपत्रित पदों का सृजन की स्वीकृति के संबंध में। — **12. स्वीकृत**

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

13. तारामंडल सह विज्ञान संग्रहालय, दरभंगा के अनुश्रवण एवं संचालन के लिए कुल 12 (बारह) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। — **13. स्वीकृत**

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

14. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अंतर्गत संचालित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों/राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों/राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, पटना में लिपिकीय संवर्ग के पूर्व से सृजित पदों के पुनर्गठन के संबंध में। — **14. स्वीकृत**

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

15. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अन्तर्गत नवस्थापित राजकीय पोलिटेकनिक (टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी), भागलपुर के लिए 29 (उनतीस) शैक्षणिक तथा 31 (इकतीस) तकनीकी एवं 16 (सोलह) गैर शैक्षणिक अर्थात कुल 76 (छिहत्तर) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। — **15. स्वीकृत**

सामान्य प्रशासन विभाग

16. वित्तीय वर्ष 2022–23 में Contruction of Administrative Training Institute & Bihar Rural Development Institute at Gaya, Phage-II के निर्माण हेतु कुल ₹ 72,73,24,000/– (बहत्तर करोड़ तिहत्तर लाख चौबीस हजार रूपये) मात्र के तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। — **16. स्वीकृत**